

केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार आपूर्ति मण्डल-2, लखनऊ

सूचना का अधिकार अधिनियम का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में 16 बिन्दुओं पर आख्या।

क्र०	बिन्दु	उत्तर
1	2	3
1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य	इस मण्डल द्वारा नलकूप संगठन के अन्तर्गत कार्यरत खण्डों से प्राप्त माँग पत्रों के अनुसार सब0 पम्पसेट, स्टार्टर एम0एस0पाइप, पी0वी0सी0 पाइप आदि सामग्री की कय व्यवस्था की जाती है।
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।	
	1- अधीक्षण अभियन्ता 2- अनुसचिवीय अधिष्ठान 3-चतुर्थ श्रेणी	समस्त कार्यों का निस्तारण एवं नियंत्रण रखना। अधीनस्थ राजकीय सेवकों से सम्बन्धित अभिलेखों, पत्रावलियों का रखरखाव। कार्यालय से सम्बन्धित कार्य।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	इस मण्डल के अन्तर्गत समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	कय की जाने वाली सामग्री की तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में 30प्र0 राज्य सरकारी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली लागू है। कार्यों के सम्पादन के लिए विभाग का मैनुअल है। वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधान एवं शासन व प्रमुख अभियन्ता/मु0अ0/अधी0अभि0 द्वारा जारी शासनादेशों/आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर सुनिश्चित करना। कार्यों का सम्पादन सिंचाई विभाग की विशिष्टियों, उपलब्ध आई0 एस0 एवं लागू निर्णय/ नियमों के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यों के अभिलेखों का रखरखाव नियमों के अनुसार किया जाना तथा अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ताओं को तदनुसार निर्देशित करना।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।	मण्डल स्तर पर निर्गत मूल अनुबन्ध, फर्मों द्वारा दी गई निविदाओं की मूलप्रति, वित्तीय हस्तपुस्तिका आदि।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	इस मण्डल द्वारा सीधे जनता से सम्बन्धित कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है।
8	ऐसे बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बार में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है की क्या उन बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।	इस मण्डल द्वारा सीधे जनता से सम्बन्धित कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है।
9	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	0522-2442475

